पत्रांक–01 / कार्य–30–09 / 2026...../

मुख्य अभियंता का कार्यालय

सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

E-mail-cewrdoffice@gmail.com

प्रेषक,

ई0 दीपक कुमार,
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महुआ।

मोतिहारी, दिनांक.....2026

विषयः– तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर अन्तर्गत मल्लिकपुर शाखा नहर के वि0दू0–84.50 (कि0मी0–25.76) पर आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट निर्माण कार्य हेतु द्वितीय चरण में अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ का पत्रांक–1352 दिनांक–21.08.2026 तथा पत्रांक–1576 दिनांक–05.10.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर का पत्रांक–3057 दिनांक–26.10.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–485 दिनांक–29.08.2024 के आलोक में तकनीकी जाँच समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में तकनीकी जाँच समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ को विषयांकित कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ द्वितीय चरण में अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है:–

1. नहर से संबंधित भू–खंड पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व पूर्णतः बना रहेगा।
2. नहर के चाट भूमि या नहर के किसी भाग से मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नहर के Design Cross-Section को किसी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा तथा निर्माण कार्य के दैरान सिंचाई बाधित न हो, सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सिंचाई अवधि में नहर मार्ग को बिल्कुल Clear रखा जाएगा, सिंचाई अवधि में Sub Structure कार्य पूर्णतः वर्जित रहेगा परन्तु अन्य प्रकार का कार्य बिना जलश्राव को वाधित किये हुए करने की अनुमति होगी।
4. नहर के बाँध को किसी प्रकार की क्षति न हो। निर्माण कार्य के दौरान अथवा पश्चात् पूर्व निर्मित लाईनिंग, नहर तटबंध या नहर सेवा पथ का कोई भाग क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर मरम्मति कराना सुनिश्चित करेगा।
5. कार्य के दौरान नहर द्वारा किये जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
6. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सभी अनुपयोगी एवं अवशेष सामग्रियों, आदि को विभागीय नियमानुसार स्थल से हटाने एवं साफ–सफाई की जिम्मेवारी / दायित्व कार्यकारी विभाग की होगी।
7. विभागीय सामग्रियों के ढुलाई एवं संचालन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
8. नहर के सेवापथ में Continuity हेतु आवश्यक कार्य (Ramp and Extra Widening इत्यादि का निर्माण कार्य) भी कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. नहर के मूल स्वरूप यथा–रूपांकित सेक्शन, रूपांकित बेड लेवल एवं निर्मित संरचनाओं को किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा छेड़छाड़ नहीं किया जायेगा।
10. नहर के सेवा पथ एवं Spoil Bank को आकस्मिकता की स्थिति एवं निरीक्षण के क्रम में उपयोगी रखने निमित्त आवश्यक प्रावधान रखने की व्यवस्था कार्यकारी विभाग द्वारा अपने खर्च से कराया जायेगा।
11. नहर बैंक पर पुल निर्माण के कारण जलश्राव को किसी भी स्थिति में प्रभावित न किया जायेगा।
12. निर्बाध जल प्रवाह एवं नहर तथा प्रस्तावित पुल संरचना की सुरक्षा के लिये पुल के U/S में 15 मी0 एवं D/S में 15 मी0 की लम्बाई में आवश्यकतानुसार BIS Code के अनुरूप आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य एवं कट्–ऑफ वाल तथा पुल के बेड एवं कट्–ऑफ वाल के बीच पी0सी0सी0 / फ्लोरिंग का कार्य तथा Transition/Protection का निर्माण कार्यकारी विभाग द्वारा अपने खर्च पर जल संसाधन विभाग से संबंधित अभियंताओं के दिशा–निदेश में कराया जायेगा।

लगातार पृ0–02 पर.....

13. कार्य कराते समय तथा भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेश का पूर्णतः अनुपालन कार्यकारी विभाग द्वारा किया जायेगा।
14. कार्य प्रारंभ, महत्वपूर्ण अवयवों का कार्य कराने से पूर्व मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी, अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर एवं कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर को निश्चित रूप से देना होगा, ताकि क्षेत्रीय अभियंताओं के देख–रेख में आवश्यक निदेश के अनुरुप कार्य कराया जा सके। साथ ही इस दौरान क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
15. जिन कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, उन कार्यों के पूर्ण होने सम्बंधी अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय एवं सम्बंधित कार्यालय को निश्चित रूप से देना होगा।
16. कार्य स्थल पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसकी जवाबदेही/मुआवजा कार्यकारी विभाग का होगा।
17. कार्य सम्पादन के उपरांत कार्यकारी विभाग, अनुपालन प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारीयों से प्राप्त कर मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
18. यदि किसी अन्य विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करेंगे।
19. विंग वाल एवं रिटर्न वाल को नहर बांध के कंट्री साईड में टो तक मेंटेन करना होगा।
20. **NOC प्राप्ति के पश्चात् संरचना का अनुमोदित रूपांकण एवं आलेख्य के अनुसार विशिष्टी एवं गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण की पूर्ण जिम्मेवारी NOC प्राप्त करने वाले विभाग की होगी। साथ ही निर्मित संरचना की सुरक्षा एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी भी निर्माण करने वाले विभाग की होगी।**
21. नहर के सेवापथ एवं स्पाईल बैंक तथा प्रस्तावित संरचना के ऊंचाई अंतर को प्रोपर स्लोप के साथ मेन्टेन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
22. उपर्युक्त शर्त्तों का उल्लंघन होने पर कार्य को अवैध मानते हुये नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

ज्ञापांक–01/कार्य–30–09/2026...../ मोतिहारी, दिनांक–...../2026

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

ज्ञापांक–01/कार्य–30–09/2026...../ मोतिहारी, दिनांक–...../2026

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

ज्ञापांक–01/कार्य–30–09/2026.....3750...../ मोतिहारी, दिनांक–30/10...../2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय पत्रांक–189 दिनांक–22.07.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/26
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

30/10/2026